संख्या:- 3237आर/छ:-पु0-5-2-ए0क्यू0/90

प्रेषक,

गंगाराम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह पुलिस अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 1990

विषय:-आयुध नियमावली 1962 में दिनांक 28 मार्च, 1990 की अधिसूचना द्वारा किये गये संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के टेलेक्स संख्या 13 जीआई /पुलिस-5-2-ए0क्यू0/90, दिनांक 11.4.1990 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा आयुध नियमावली-1962 में अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा किये गये संशोधन के फलस्वरूप सम्पूर्ण भारतवर्ष/राज्य/जिला सीमा के लिए वैध अनिषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के लाईसेंस नवीनीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट समक्ष हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि उक्त अधिसूचना के पूर्व भारत वर्ष की सीमा के लिए वैध जिन लाईसेंसों की सीमा भारत वर्ष से घटाकर जिला/राज्य तक सीमित करने के उपरान्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाईसेंसों का नवीनीकरण किया गया है, ऐसे लाईसेंसों की बैधता पुन: भारतवर्ष किये जाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट समक्ष नहीं हैं। जिला मजिस्ट्रेट ऐसे लाईसेंस, जिनकी सीमा घटाकर जिले तक सीमित कर दी गयी हो, की बैधता राज्य सीमा तक बढ़ाने के लिए समक्ष है। ऐसे लाईसेंस की वैधता सीमा भारतवर्ष किये जाने के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

3. अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। शासन के अति गोपनीय शासनादेश संख्या जी0आई0 35आर/आठ-5-1262/87(टी0सी0), दिनांक 27 सितम्बर, 1989 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने के उपरान्त ही कृपया इस प्रकार के प्रकरण शासन को भेजे जायें। कृपया पत्र की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

(गंगाराम)
संयुक्त सचिव

संख्या:-3237आर(1)/छ:-पु0-5-2-ए0क्यू0/90 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि गृह पुलिस अनुभाग-13 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

(गंगाराम)
संयुक्त सचिव